प्रेस नोट **दिनांक 28.04.2026**

गैर इरादतन हत्या के संबंध में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में के अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 28.04.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बावला पुलिया तालरतोय के पास से मु0अ0सं0 122/2026 धारा 105 बीएनएस में वाछिंत अभियुक्त संदीप यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी कुंवरपुरवा थाना मधुबन जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पकड़े गये अभियुक्त का नाम पता–

1. संदीप यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी कुंवरपुरवा थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 105 बीएनएस

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी मधुबन मऊ श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.042026 को देखबाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर सेहबरपुर से बसारिखपुर जाने वाली रोड पर काली माता मन्दिर के पास से मु0अ0सं0 89/26 धारा 3(5)/103(1) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त 1. संजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 29 वर्ष, 2. 2.रामानन्द यादव पुत्र स्व0 जद्दू यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 54 वर्ष को गिरफ्तार कर चालाल न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. संजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 29 वर्ष
2. रामानन्द यादव पुत्र स्व0 जद्दू यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 54 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 89/26 धारा 3(5)/103(1) बी0एन0एस0

07 अदद मोबाइल फोन (कुल कीमत लगभग 145000) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द-

आज दिनांक 28.04.2026 को थाना मधुबन जनपद मऊ पर पूर्व में गुम हुए मोबाइल जिनकी गुमशुदगी थाना मधुबन जनपद मऊ पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर गुमदुगी दर्ज कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

के आदेश के अनुपालन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय मधुबन,मऊ के कुशल निर्देशन व श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मधुबन के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन की साईबर टीम द्वारा निम्नांकित आवेदकगण के मोबाइलों को भारत सरकार द्वारा जारी CEIR PORTAL के माध्यम से बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया।

आवेदकगण-

1. नागेन्द्र मद्धेशिया पुत्र स्व0 भृगुनाथ मद्धेशिया सा0 कमरौली थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- MOTOROLA कीमत 22000रू0 की **गुम स्थान**--- कमरौली
2. रामविशुन पुत्र विजयनाथ सा0 समसपुर अहीरौली थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- OPPO कीमत 18000रू0 की **गुम स्थान**--- अहीरौली
3. पंकज गुप्ता पुत्र भुवल सा0 सुग्गी चौरी मधुबन मऊ
मोबाइल- OPPO कीमत 19000रू0 की **गुम स्थान**--- बखरिया
4. रविशंकर सिंह पुत्र अरविन्द कुमार सा0 खैरानासिर थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- OPPO कीमत 15000रू0 की **गुम स्थान**--- बखरिया
5.ममता देवी पत्नी राकेश राजभर सा0 जजौली थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- tecnoकीमत 11000रू0 की **गुम स्थान**--- जजौली पेट्रोल पम्प के पास
6. कृष्णाकान्त यादव पुत्र अनिरूद्ध यादव सा0 मुराडार मनियार थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- oppo reno कीमत 45000रू0 की **गुम स्थान**--- मधुबन
7. रंजना कन्नौजिया पुत्र पप्पू सा0 उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ
मोबाइल- Galaxy A03 कीमत 15000रू0 की **गुम स्थान**--- मधुबन
कुल मोबाइलों की कीमत करीब 145000 रू0

फेसबुक के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 32000 /- (बत्तीस हजार) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन पुलिस जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये फेसबुक के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 32000 /- (बत्तीस हजार) रुपये पीड़ित अजय कुमार सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी कमरौली थाना मधुबन जनपद मऊ 32000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर

अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा थाना हलधरपुर के प्रयास से दिनांक 26/27.04.2026 को ग्राम अरदौना रेहिया में खेत में मिले युवक का शव की घटना का सफल अनावरण -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन के मार्गदर्शन में थाना हलधरपुर पुलिस टीम के लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया

दिनांक 28.04.2026 को प्राप्त सटीक मुखबिर सूचना के आधार पर थाना हलधपुर पुलिस टीम द्वारा सेहबरपुर से बसारिखपुर जाने वाली रोड पर काली माता मन्दिर के पास से घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

पूछने पर दोनों बताने लगे की साहब, रामबिलाश हमारे परिवार खानदान के है , अंशु उनकी लड़की है दिनांक 26/27.04.2026 की रात्रि में विपुल यादव पुत्र भूपेन्द्र यादव जो हमारे गांव का रहने वाला है, वह अंशु को अकेला जानकर घर में घुस गया था और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया था। विपुल को घर में घुसते हुए हमलोग देख लिए थे। जब दरवाजे पर आकर अंशु को आवाज लगाये तो काफी देर बाद अंशु दरवाजा खोली । हमलोग घर के अन्दर कमरे में गये तो विपुल डर गया। उस समय अंशु की मम्मी भी घर पर नही थी, मायके गयी हुयी थी। विपुल हमारे खानदान के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था उसकी तलाश तो हमलोग कई दिनों से कर रहे थे । उस दिन रंगे हाथ मिल गया और हमलोग मार पीट दिये। रात का समय था हमलोगों ने सोचा कोई नही जान पायेगा। हम दोनों लोग तथा पंकज यादव तथा सरोज जिसे रामानन्द अपनी पत्नी बताये हम लोग विपुल का हाथ पैर बाँध कर सिवान में ले गये। वहाँ मारे और मार कर फेंक दिये ।

पूछताछ में विपुल के मोबाईल के संबंध में पुछ ताछ किया गया तो संजय नें बताया कि विपुल का मोबाईल पंकज ने तोड़ दिया था जिसे मैने अपने खेत में गाड़ दिया तथा संजय नें यह भी बताया कि अंशु के घर में पेचकश पड़ा था हमने गुस्से में पेचकस से विपुल के सिर में मार दिया था फिर पेंचकस पंकज ले लिया था उसके बाद उसने पेचकस कहा फेका क्या किया मुझे नही पता ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हलधरपुर पर मु0अ0सं0 89/26 धारा 3(5)/103(1) बी0एन0एस0 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम -

1. संजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 29 वर्ष
2. रामानन्द यादव पुत्र स्व0 जद्दू यादव निवासी अरदौना रेहिया थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 54 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान -

दिनांक 28.04.2026

समय - 11.25 बजे

स्थान - सेहबरपुर से बसारिखपुर जाने वाली रोड पर काली माता मन्दिर के पास से

फरार / वांछित अभियुक्तों का विवरण -

1. अन्जू यादव पत्नी रामविलाश यादव
2. अंशु यादव पुत्री रामविलाश यादव
3. रामनरेश यादव (नान्हू) पुत्र जद्दू यादव
4. पंकज यादव पुत्र रामनिवास यादव निवासीगण ग्राम अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ
5. धीरज पुत्र अज्ञात पता अज्ञात